



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है । उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 177/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध अथवा लाइसेंसी असलाह का प्रदर्शन न करें। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र महेशपाल निवासी ग्राम सररपुर कलाँ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार अभियुक्त कपिल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 145/2023 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 177/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 तहसीन खां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 632 विनोद भाटी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 818 इलियास अहमद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 18.03.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 50/26 धारा  
85/115(2)/80(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित  
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.02.2026 को थाना खेकडा वादी श्री रविप्रकाश पुत्र जयभगवान निवासी विकासनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ने लिखित सूचना दी कि 1.पति नवीन, 2.सास, 3.देवर साहिल, 4. देवर शिवम, 5. फूफा देशराज, 6.बुआ गीता पत्नी देशराज निवासीगण ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत व अन्य अज्ञात परिवारीजन द्वारा दहेज में अतिरिक्त धनराशि, गाडी व अन्य सामान की मांग



कर वादी की बेटी चंचल पत्नी नवीन के साथ मारपीट करना व दहेज के लिये प्रताडित करना व जान से मारने की धमकी देना व चंचल की हत्या कर देना । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 50/26 धारा 85,115(2),80(2),351(3) बीएनएस – 2023 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 50/26 धारा 85,115(2),80(2),351(3) बीएनएस – 2023 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नवीन पुत्र नहेरा निवासी सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा जिला बागपत ।
2. है०का० 428 कपिल रावत थाना खेकडा जिला बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 18.03.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 44/26 धारा  
318(4)/64(1)/115(2)/127(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को  
किया गिरफ्तार ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 44/26 धारा



318(4)/64(1)/115(2)/127(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम भारसी थाना कान्धला जिला शामली उम्र- 37 वर्ष

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री यूद्धवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2. है०का० 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3. है०का० 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 18.03.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 94/2026 धारा 305(डी) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 इन्वर्टर व 02 बैटरी, एक पावर कटर, कटा हुआ ताला व घटना मे प्रयुक्त 01 मो0सा0 बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17.03.26 को थाना सिंघावली अहीर पर आवेदक प्रधानाध्यापक सोवन्तवीर मलिक प्रा0वि0 अमरपुर गढी ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा प्रा0वि0 अमरपुर गढी के प्रधानाध्यापक के कार्यालय से एक इन्वर्टर व दो बैटरी चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0-94/26 धारा 305(डी) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 94/2026 धारा 305(डी) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक इन्वर्टर व 02 बैटरी व एक पावर कटर, कटा हुआ ताला व घटना मे प्रयुक्त मो0सा0न0-DL7SAA-7550 बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-राशिद त्यागी पुत्र वकील उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-साजिद पुत्र दिलशाद उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

### बरामदगी के विवरण-

- एक इन्वर्टर
- 02 बैटरी
- व एक पावर कटर
- कटा हुआ ताला
- घटना में प्रयुक्त मो०सा० न०-DL7SAA-7550

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अनुज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है०का० 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-है०का० 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-का० 739 धर्मेन्द्र शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5.एचजी 770 मनु ढाका थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।